डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजी. क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, बुधवार दिनांक 13 मार्च, 2002—फाल्गुन 22, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस विधेयक का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002 है. — **संक्षिप्त नाम.**

2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है. — **सीमा.**

3. यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा. — **प्रारंभ.**

4. छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगी. — **छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1982 का अस्थाई रूप में संशोधन किया जाना.**

5. प्रमुख अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "तीन प्रतिशत" स्थापित किये जाएंगे. — **धारा 7 का संशोधन.**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) का छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन किया गया है अनुकूलन आदेश छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 31-6-2001 में प्रकाशित हुआ है.

राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन ने (संशोधन) अधिनियम, 2001 के द्वारा मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) की धारा 7 की उपधारा (1) में वन विकास उपकर की दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया है.

यह प्रस्तावित है कि इस प्रदेश में भी वन विकास हेतु संसाधन बढ़ाने के लिये उपकर की दर तद्नुसार बढ़ायी जाये. इसके लिये छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) की धारा 7 की उपधारा (1) में वन विकास उपकर की दर 2 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत करना आवश्यक हो गया है.

अतएव विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
तारीख : 29 नवम्बर, 2001

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) की धारा-7 की उपधारा (1) का मूल प्रावधान एवं उसमें प्रस्तावित संशोधन :—

मूल प्रावधान धारा 7 (1)

वन विभाग द्वारा वन उपज के प्रत्येक विक्रय या प्रदाय पर वन विकास उपकर, उस कीमत के जिस पर कि ऐसी वन उपज बेची जाती है, या उसका प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत की दर से उद्गृहित तथा संग्रहित किया जाएगा.

[म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6-6-84 में प्रकाशित म. प्र. कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा वन विकास उपकर की वसूली की दर 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत संशोधित की गयी है].

प्रस्तावित संशोधन धारा 7 (1)

वन विभाग द्वारा वन उपज के प्रत्येक विक्रय या प्रदाय कर वन विकास उपकर, उस कीमत के जिस पर कि ऐसी वन उपज बेची जाती है, या उसका प्रदाय किया जाता है, तीन प्रतिशत की दर से उद्गृहित तथा संग्रहित किया जाएगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001